

जिला स्तरीय विकास प्राधिकरण, नैनीताल

13वीं बोर्ड बैठक का कार्यवृत्त

तिथि : 12.07.2021 (दिन सोमवार)
समय : 12:00 बजे (मध्यान्ह)
स्थान : आयुक्त सभागार, तल्लीताल, नैनीताल।
फोन : 05942- 232800
फैक्स : 05942- 236042
e-mail I.D- secretaryldanainital@rediffmail.com

आज दिनांक 12 जुलाई, 2021 दिन सोमवार को जिला स्तरीय विकास प्राधिकरण, नैनीताल की 13वीं बोर्ड बैठक आयुक्त सभागार, तल्लीताल, नैनीताल में सम्पन्न हुई। बैठक में उपस्थिति निम्नानुसार रही:-

- | | |
|--|---------------------|
| 1. श्री अरविन्द सिंह ह्यांकी, आयुक्त, कुमाऊँ मण्डल, नैनीताल | - अध्यक्ष |
| 2. श्री धीराज सिंह गर्ब्याल, जिलाधिकारी, नैनीताल | - सदस्य |
| 3. श्री नरेन्द्र सिंह भण्डारी, उपाध्यक्ष, जिला स्तरीय विकास प्राधिकरण, नैनीताल | - उपाध्यक्ष |
| 4. श्री बंशीधर तिवारी, उपाध्यक्ष, जिला स्तरीय विकास प्राधिकरण, ऊधमसिंह नगर (सचिव, आवास विभाग, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून के प्रतिनिधि) | - सदस्य (पदेन) |
| 5. श्री वी0एस0 चौहान, नगर निगम, हल्द्वानी (नगर आयुक्त, नगर निगम, हल्द्वानी के प्रतिनिधि) | - सदस्य (पदेन) |
| 6. श्री ए0के0 कटारिया, अधिशासी अभियन्ता, पेयजल निगम, नैनीताल (प्रबन्ध निदेशक, उत्तराखण्ड पेयजल संशाधन एवं निर्माण निगम, देहरादून के प्रतिनिधि) | - सदस्य (पदेन) |
| 7. श्रीमती अनीता आर्य, मुख्य कोषाधिकारी, नैनीताल (सचिव, वित्त विभाग, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून के प्रतिनिधि) | - सदस्य (पदेन) |
| 8. श्री हरिशंकर सिंह बिष्ट, (मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक, उत्तराखण्ड, देहरादून के प्रतिनिधि) | - सदस्य (पदेन) |
| 9. श्री दीपक बर्गली, सभासद, नगर पालिका परिषद, नैनीताल। | - सदस्य (निर्वाचित) |

बैठक के संचालन एवं सहयोग हेतु उपस्थिति-

1. श्री पंकज कुमार उपाध्याय, सचिव, जिला स्तरीय विकास प्राधिकरण, नैनीताल।
2. श्रीमती ऋचा सिंह, संयुक्त सचिव, जिला स्तरीय विकास प्राधिकरण, नैनीताल, क्षेत्रीय कार्यालय, हल्द्वानी।
3. श्री दिनेश कुमार राणा, मुख्य वित्त अधिकारी, जिला स्तरीय विकास प्राधिकरण, नैनीताल।
4. श्री सी0एम0 साह, परियोजना अभियन्ता, जिला स्तरीय विकास प्राधिकरण, नैनीताल।
5. श्री सतीश कुमार चौहान, प्रभारी सहायक अभियन्ता, जिला स्तरीय विकास प्राधिकरण, नैनीताल।

सर्वप्रथम अध्यक्ष द्वारा बैठक में उपस्थित सदस्यों का बैठक में स्वागत किया गया। बैठक का कोरम पूर्ण होने पर अध्यक्ष की अनुमति से 13वीं बोर्ड बैठक के एजेण्डा बिन्दुओं का क्रमशः प्रस्तुतीकरण प्रारम्भ किया गया। एजेण्डा बिन्दुओं पर निम्नानुसार निर्णय लिया गया:-

मद संख्या- 13.01

बारहवीं बोर्ड बैठक की कार्यवाही की पुष्टि।

जिला स्तरीय विकास प्राधिकरण की बारहवीं बोर्ड बैठक दिनांक 06.04.2021 की कार्यवाही कार्यालय के पत्र संख्या-12/नैजिविप्रा/एक-2021/बारहवीं बो0बै0/ 2021-22 दिनांक 08 अप्रैल, 2021 द्वारा बोर्ड के सभी सम्मानित सदस्यों को प्रेषित की गयी। प्रेषित कार्यवाही के सम्बन्ध में किसी भी सदस्य से कोई टिप्पणी प्राप्त नहीं हुयी है। अतः बारहवीं

बोर्ड बैठक की कार्यवाही की पुष्टि सम्बन्धी प्रस्ताव प्राधिकरण के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत किया गया। सर्वसम्मति से विगत बैठक की कार्यवाही की पुष्टि की गयी।

मद संख्या- 13.02

बारहवीं बोर्ड बैठक में लिये गये निर्णयों पर अनुपालन आख्या।

जिला स्तरीय विकास प्राधिकरण की बारहवीं बोर्ड बैठक में लिये गये निर्णयों पर अनुपालन आख्या।

कार्यवाही:- 12वीं बोर्ड बैठक के मद संख्या-12.02 के क्रम में फिलिंग स्टेशन के दूसरे प्रकरण के सम्बन्ध में सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि 03 दिन के अन्दर प्रस्ताव शासन को प्रेषित कर दिया जाय।

मद संख्या-12.04 के अन्तर्गत एक बार समाधान योजना का व्यापक रूप से प्रचार-प्रसार करते हुये प्राप्त आवेदनों का निर्धारित समयावधि के अन्तर्गत नियमानुसार निस्ताकरण किया जाय।

अन्य बिन्दुओं की पुष्टि की गयी।

मद संख्या- 13.03

भीमताल महायोजना 1995-2011 के परिक्षेत्रीय विनियमन के बिन्दु संख्या-13.3.6 के तहत सामुदायिक सुविधायें एवं सेवायें के उप बिन्दु-4 विद्युत वितरण केन्द्र भू-उपयोग के सम्बन्ध में।

भीमताल महायोजना 1995-2011 के परिक्षेत्रीय विनियमन के बिन्दु संख्या-13.3.6 के तहत सामुदायिक सुविधायें एवं सेवायें के उप बिन्दु-4 विद्युत वितरण केन्द्र भू-उपयोग निर्धारित हैं जिसमें अनुमन्य उपयोग निम्नानुसार है:-

क- अनुमन्य उपयोग-

1. जल-कल, जल भण्डार एवं कार्यालय।
2. विद्युत गृह एवं कार्यालय।

ख- विकास प्राधिकरण की अनुमति पर अनुमन्य उपयोग-

1. जल एवं विद्युत प्रदाय से सम्बन्धित कार्मिकों की आवासीय कॉलोनी।
2. टैक्सी एवं बस स्टैण्ड।
3. जलपान गृह एवं कार्यशाला।
4. निरीक्षण भवन।

अवगत कराना है कि उक्त निर्दिष्ट भू-उपयोग के अन्तर्गत विद्युत विभाग का सब-स्टेशन, आवासीय कॉलोनी व अन्य सुविधायें निश्चित क्षेत्रान्तर्गत अवस्थित हैं। निर्मित क्षेत्र में विद्युत विभाग द्वारा बाउण्ड्रीवाल का निर्माण करते हुये घेराबंदी की गयी है। विद्युत विभाग के निर्मित क्षेत्र के बाहर विभिन्न व्यक्तियों की निजी भूमि अवस्थित है। भीमताल महायोजना में एक बड़े भाग में भू-उपयोग विद्युत वितरण केन्द्र रखा गया है जिसमें विद्युत विभाग के अतिरिक्त निजी भूमि धारकों की भूमि अवस्थित है। महायोजना में निर्धारित अनुमन्य एवं विकास प्राधिकरण की अनुमति के अन्तर्गत किसी भी प्रकार का निर्माण अनुमन्य नहीं है।

महायोजना के परिक्षेत्रीय विनियमन में प्राधिकरण की अनुमति से निरीक्षण भवन का निर्माण अनुमन्य है परन्तु विस्तृत रूप से परिभाषित नहीं किया गया है। निरीक्षण भवन का सामान्य उपयोग अतिथि गृह के रूप में किया जाता है परन्तु निरीक्षण भवन से तात्पर्य केवल विभागीय अतिथि गृह के रूप में लिया जाता है जिससे निजी भूमि धारकों को कोई लाभ प्राप्त नहीं हो पा रहा है तथा उनकी भूमि में किसी प्रकार का निर्माण अनुमन्य नहीं किया जा पा रहा है। निर्धारित भू-उपयोग के अन्तर्गत निजी भूमि धारकों के सम्बन्ध में निम्नांकित बिन्दुओं पर विचार किया जाना है:-

1. विद्युत विभाग से विद्युत वितरण केन्द्र के भविष्य में प्रस्तावित विस्तार की जानकारी प्राप्त करते हुये चिन्हांकित भूमि को विद्युत विभाग द्वारा अधिगृहित करने के लिये कार्यवाही हेतु सम्बन्धित विभाग को निर्देशित किया जाना।
2. विद्युत विभाग द्वारा विस्तार से सम्बन्धित कोई प्रस्ताव न होने की दशा में अवशेष भूमि का भू-उपयोग आवासीय किये जाने के सम्बन्ध में प्रस्ताव शासन को संदर्भित किये जाने के सम्बन्ध में।
3. उक्त भू-उपयोग के अन्तर्गत निजी भूमि धारकों को निरीक्षण भवन अर्थात् अतिथि गृह के निर्माण अनुमन्य किये जाने पर विचार।

अतः उपरोक्तानुसार प्रस्ताव प्राधिकरण बोर्ड के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत किया गया।

कार्यवाही:- (1) बोर्ड द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव पर विस्तृत विचार-विमर्श किया गया। सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि महायोजना लगभग 25 वर्ष पूर्व तैयार की गयी थी। वर्तमान परिप्रेक्ष्य में विद्युत विभाग को अतिरिक्त भूमि की आवश्यकता न होने एवं निजी भूमि धारकों के हित को ध्यान में रखते भीमताल महायोजना के जोनिंग रेगुलेशन के बिन्दु 13.3.6 के उप बिन्दु-4 (ख)- विकास प्राधिकरण की अनुमति पर अनुमन्य उपयोग के अतिरिक्त निम्नलिखित उपयोग/प्रयोजन को भी सम्मिलित किए जाने हेतु शासन को संदर्भित किया जाए:-

1. आवासीय एवं व्यवसायिक भवन निर्माण की अनुमति।

(2) उपरोक्त के अतिरिक्त बिन्दु सं०-13.3.6 के उप बिन्दु-4 (ख) (4) के अन्तर्गत अंकित 'निरीक्षण भवन' का उपयोग चूँकि मुख्यतः अतिथियों के निवास एवं खान-पान व्यवस्था हेतु किया जाता है तथा महायोजना के अन्तर्गत विभिन्न स्थानों पर अतिथिगृह, विश्राम गृह आदि शब्दों का भी प्रयोग हुआ है, अतः वर्तमान परिप्रेक्ष्य में 'निरीक्षण भवन' श्रेणी अन्तर्गत शासकीय/अर्द्धशासकीय विभागों/संस्थाओं एवं निगमों के निरीक्षण भवन/विश्राम गृह/अतिथि गृह/पर्यटक आवास गृह/राज्य अतिथि गृह तथा ऐसी होमस्टे परियोजना जो कि राज्य सरकार के होम स्टे कार्यक्रम/योजना अन्तर्गत जिला स्तरीय समिति द्वारा अनुमोदित हों, भी सम्मिलित होंगे और तत्सम्बन्धी प्रस्ताव प्राप्त होने पर भवन उपविधि अनुसार निर्माण की अनुमति दी जायेगी।

अतः 'निरीक्षण भवन' के अन्तर्गत उपरोक्तानुसार निरीक्षण भवन/अतिथिगृह/विश्राम गृह/पर्यटक आवास गृह/राज्य अतिथि गृह एवं होमस्टे सम्मिलित मानते हुये संगत नियमों के अन्तर्गत मानचित्र स्वीकृति की कार्यवाही करने का निर्णय लिया गया।

मद संख्या- 13.04

भीमताल महायोजना 1995-2011 के परिक्षेत्रीय विनियमन के बिन्दु संख्या-13.3.6 के तहत सामुदायिक सुविधायें एवं सेवायें के उप बिन्दु-5 पार्क एवं क्रीड़ा स्थल भू-उपयोग के सम्बन्ध में।

भीमताल महायोजना 1995-2011 के परिक्षेत्रीय विनियमन के बिन्दु संख्या-13.3.6 के उप बिन्दु-5 पार्क एवं क्रीड़ा स्थल भू-उपयोग निर्धारित हैं जिसमें अनुमन्य उपयोग निम्नानुसार है:-

क- अनुमन्य उपयोग-

1. पार्क एवं खेल के मैदान
2. शिविर स्थल
3. उद्यान
4. स्टेडियम एवं प्रेक्षागृह
5. स्केटिंग रिंग, तरणताल
6. पोलोग्राउण्ड, गोल्फ-कोर्स
7. मुक्ताकाश रंगमंच
8. पार्किंग
9. अधिकतम 25 वर्ग मीटर में जलपान सुविधा

ख- विकास प्राधिकरण की अनुमति पर अनुमन्य उपयोग-

1. टैक्सी एवं बस स्टॉप
2. सांस्कृतिक केन्द्र
3. प्रदर्शनी मैदान

अवगत कराना है कि उक्त निर्दिष्ट भू-उपयोग के अन्तर्गत अधिकांश भूमि निजी भू-स्वामियों की है। उक्त क्षेत्र में आवासीय निर्माण अनुमन्य न होने के कारण समय-समय पर निजी भूमिधारकों द्वारा बिना अनुमति के निर्माण किये जाते रहे हैं। उक्त भू-उपयोग का सम्पूर्ण क्षेत्र भवाली-भीमताल मुख्य मोटर मार्ग से लगा है तथा मुख्य मार्ग से विभिन्न टैरिसों में विकास भवन, भीमताल तक दर्शित है। उक्त भू-उपयोग के अन्तर्गत निजी आवास अथवा व्यवसायिक निर्माण अनुमन्य न होने के कारण समय-समय पर जनप्रतिनिधियों द्वारा भू-उपयोग परिवर्तन किये जाने का अनुरोध किया जाता रहा है।

अतः भीमताल महायोजना के पार्क एवं क्रीड़ा क्षेत्र भू-उपयोग में निजी भू-स्वामियों को एकल आवासीय भवन के निर्माण की अनुमति प्रदान किये जाने हेतु परिक्षेत्रीय विनियमन में संशोधन किये जाने हेतु प्रस्ताव शासन को संदर्भित किये जाने के सम्बन्ध में बोर्ड के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत किया गया।

कार्यवाही:- (1) बोर्ड द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव पर विस्तृत विचार-विमर्श किया गया। सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि महायोजना में दर्शित पार्क एवं क्रीड़ा भू-उपयोग जो कि भवाली-भीमताल मुख्य मोटर मार्ग से लगा हुआ है, के अन्तर्गत अधिकांश भू-भाग निजी भू-स्वामियों की है, अतः भीमताल महायोजना के जोनिंग रेगुलेशन के बिन्दु 13.3.6 के उप बिन्दु-5 (क) अनुमन्य उपयोग एवं 5 (ख) विकास प्राधिकरण की अनुमति पर अनुमन्य उपयोग के अतिरिक्त निम्नलिखित उपयोगों को परिभाषित करते हुए संगत भवन उपविधि अनुसार मानचित्र स्वीकृति की कार्यवाही करने का निर्णय लिया गया:-

13

13

क- अनुमन्य उपयोग के अन्तर्गत-

1. शिविर स्थल पर प्रायः रहने की व्यवस्था, खान-पान हेतु जलपान गृह व शौचालय व्यवस्था आवश्यक है जिसे ध्यान में रखते हुए टैन्ट कॉलोनी एवं अधिकतम दो मंजिला प्री-फैब भवन/डोरमैट्री, जलपान गृह एवं शौचालय की संयुक्त योजना।

ख- विकास प्राधिकरण की अनुमति पर अनुमन्य उपयोग के अन्तर्गत-

1. सांस्कृतिक केन्द्र स्थलों पर मंच व्यवस्था तथा आवश्यकता अनुसार अतिथियों के निवास एवं खान-पान व्यवस्था की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुये संयुक्त प्रस्ताव के रूप में शासकीय/अर्द्ध शासकीय विभागों एवं निगमों के अतिथिगृह/निरीक्षण भवन/विश्राम गृह/आवास गृह/राज्य अतिथि गृह तथा ऐसी होमस्टे परियोजना जो कि राज्य सरकार के होमस्टे परियोजना/ कार्यक्रम में अन्तर्गत जिला स्तरीय समिति द्वारा अनुमोदित हों, के प्रस्ताव प्राप्त होने पर संगत भवन उपविधि अनुसार मानचित्र की स्वीकृति दी जायेगी।

(2) उक्त के अतिरिक्त भीमताल महायोजना के जोनिंग रेगुलेशन में आवासीय एवं व्यवसायिक निर्माण की अनुमति हेतु प्रस्ताव शासन को संदर्भित किये जाने का निर्णय लिया गया।

मद संख्या- 13.05

भीमताल महायोजना 1995-2011 में कृषि भू-उपयोग के अन्तर्गत 60.00 वर्गमीटर आच्छादन पर आवासीय भवन की अनुमन्यता के सम्बन्ध में।

भीमताल महायोजना 1995-2011 के परिक्षेत्रीय विनियमन के अनुसार बिन्दु 13.3.8 कृषि हरित पट्टी भू-उपयोग के अन्तर्गत उपक्रमांक-22 में "राजस्व अभिलेखों में दर्ज आबादी क्षेत्र में निजी प्रयोजन हेतु आवास (अधिकतम भू-आच्छादन 60.00 वर्गमीटर) अनुमन्य किया गया है। भूमि/भूखण्ड राजस्व अभिलेखों में दर्ज आबादी क्षेत्र के अन्तर्गत होने की पुष्टि हेतु तहसीलदार, नैनीताल का प्रमाण-पत्र प्राप्त किया जाता रहा है जिसके आधार पर कृषि भूमि पर 60.00 वर्गमीटर आच्छादन पर आवासीय भवन की स्वीकृति प्रदान की जा रही है।

अवगत कराना है कि भूखण्ड का आकार 200.00 वर्गमीटर से लेकर 400.00 वर्गमीटर तक सामान्यतः पाये जाते हैं किन्तु 60.00 वर्गमीटर का भवन स्वीकृत होने पर प्रायः सभी प्रकरणों में विचलन/अतिरिक्त निर्माण के तथ्य प्रकाश में आ रहे हैं। इस प्रकार स्वीकृति के बावजूद सभी निर्माण, अवैध निर्माण की श्रेणी में हो जाते हैं। ऐसे प्रकरणों पर शमन की कार्यवाही भी किया जाना सम्भव नहीं हो पा रहा है।

अतः 60.00 वर्गमीटर की सीमा को अधिकतम 120.00 वर्गमीटर की सीमा तक विस्तारित किये जाने अथवा बड़े भू-भाग में भवन उपविधि के मानकों के अनुसार निर्धारित भू-आच्छादन के अनुसार निर्माण अनुमन्य किये जाने हेतु भीमताल महायोजना के परिक्षेत्रीय विनियमन में संशोधन का प्रस्ताव शासन को संदर्भित किये जाने हेतु बोर्ड के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत किया गया।

कार्यवाही:- बोर्ड द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव पर विस्तृत विचार-विमर्श किया गया। सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि महायोजना के कृषि भू-उपयोग के अन्तर्गत वर्तमान में

प्रचलित भवन उपविधि के मानकों के आधार पर निर्धारित भू-आच्छादन के अनुसार निर्माण अनुमत्य किये जाने हेतु महायोजना के जोनिंग रेगुलेशन में संशोधन हेतु प्रस्ताव शासन को संदर्भित कर दिया जाय।

मद संख्या-13.06

मा0 मुख्यमंत्री जी की घोषणा संख्या-147/2021 के अन्तर्गत कचहरी परिसर, नैनीताल में बहुमंजिली कार पार्किंग के सम्बन्ध में।

कचहरी परिसर, नैनीताल में लोक निर्माण विभाग एवं विद्युत विभाग के आवासीय परिसर में स्थित राजकीय कर्मचारी आवासों को ध्वस्त करते बहुमंजिला पार्किंग का निर्माण से सम्बन्धित है। महायोजना में स्थल का भू-उपयोग "कार्यालय" है जिसमें पार्किंग स्थल का निर्माण अनुमत्य श्रेणी के अन्तर्गत है। उत्तराखण्ड राज्य की परियोजना अन्तर्गत प्राधिकरण को पार्किंग निर्माण किये जाने हेतु आदेशित किया गया है जिसके क्रम में पार्किंग निर्माण हेतु कार्यवाही की जा रही है।

स्थल पर अवस्थित विद्यमान भवनों को ध्वस्त करते हुये प्रस्तावित कार पार्किंग निर्माण के सम्बन्ध में जिला स्तरीय विकास प्राधिकरण, नैनीताल की सप्तम् अवस्थापना समिति की बैठक दिनांक 07.06.2021 में प्रथम चरण हेतु धनराशि ₹492.00 लाख की धनराशि को आरक्षित रखते हुये पूर्ण योजना की डी0पी0आर0 तैयार कर शासन को प्रेषित किये जाने के निर्देश दिये गये।

आयुक्त महोदय की अध्यक्षता में दिनांक 07.06.2021 को सम्पन्न बैठक में आयुक्त महोदय द्वारा स्थल पर अवस्थित भवनों के ध्वस्तीकरण की कार्यवाही 15 दिन के अन्दर करने के निर्देश दिये गये, साथ ही अवस्थित भवन में निवासरत कार्मिकों को अन्यत्र भवन उपलब्ध कराये जाने अथवा किराये के भवन उपलब्ध कराये जाने के निर्देश हैं। तत्क्रम में कार्यालय पत्र संख्या-273 दिनांक 16.06.2021 द्वारा अधिशासी अभियन्ता, नि0ख0, लो0नि0वि0, नैनीताल को कचहरी परिसर में अवस्थित लो0नि0वि0 एवं विद्युत विभाग के भवनों को ध्वस्त करते हुये होने वाले व्यय का यथाशीघ्र मूल्यांकन कराते हुये आगणन इस कार्यालय को उपलब्ध कराये जाने हेतु पत्र प्रेषित किया गया है। प्रस्तावित कार पार्किंग के सम्बन्ध में निम्नलिखित बिन्दुओं पर निर्णय लिया जाना अपेक्षित है:-

1. मा0 मुख्यमंत्री जी की घोषणा के अनुसार कचहरी पार्किंग को प्राधिकरण के संसाधनों से निर्मित किया जाना है। धनराशि का व्यय प्राधिकरण से किये जाने के दृष्टिगत पार्किंग निर्मित हो जाने के उपरान्त उक्त पार्किंग का संचालन एवं रख-रखाव का कार्य प्राधिकरण द्वारा किये जाने पर अनुमति प्रदान करना।
2. स्थल पर विद्यमान भवनों में अध्यासित राजकीय कार्मिकों को पाईन्स, नैनीताल में स्थित पूल्ड हाउस में आवास आवंटित किये जाने हेतु कार्यालय पत्र संख्या-400 दिनांक 06.07.2021 द्वारा जिलाधिकारी, नैनीताल से अनुरोध किया गया है। यदि किन्हीं परिस्थितियों में कार्मिकों द्वारा नैनीताल शहर के अन्दर स्वयं व्यवस्था अथवा नैनीताल शहर अन्तर्गत भवन किराये पर उपलब्ध होने के सम्बन्ध में प्रकाशित विज्ञापन के सापेक्ष प्राप्त प्रस्तावों के अनुसार अग्रेत्तर कार्यवाही की जाती है तो उक्त कार्मिकों को देय टाईप-11 के भवन के जिलाधिकारी, नैनीताल द्वारा निर्धारित भवन किराया में से अनुमत्य एच0आर0ए0 की धनराशि घटाते हुये अवशेष धनराशि का

भुगतान अधिकतम 01 वर्ष हेतु किया जाना है, इस सम्बन्ध में प्राधिकरण मद से व्यय की अनुमति।

3. उक्त निर्णय के साथ विद्यमान भवनों के ध्वस्तीकरण सम्बन्धी कार्यवाही हेतु निविदा एवं ध्वस्तीकरण की कार्यवाही एवं ध्वस्तीकरण उपरान्त कार पार्किंग का निर्माण प्रारम्भ किये जाने हेतु अनुमति का प्रस्ताव।

अतः उपरोक्तानुसार बिन्दुओं पर निर्णय हेतु प्रस्ताव बोर्ड के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत किया गया।

कार्यवाही:- बोर्ड द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव पर विचार-विमर्श किया गया। चर्चा उपरान्त सर्वसम्मति से प्रस्ताव का अनुमोदन प्रदान करते हुए पार्किंग निर्माण की कार्यवाही यथाशीघ्र प्रारम्भ करने का निर्णय लिया गया। पार्किंग निर्माण पर्यटन से सम्बन्धित होने के दृष्टिगत कुमाऊँ मण्डल विकास निगम लि०, नैनीताल को कार्यदायी संस्था बनाये जाने का भी निर्णय लिया गया।

मद संख्या-13.07

मा० मुख्यमंत्री जी की घोषणा संख्या-309/2018 रामनगर पुरानी तहसील की खाली भूमि पर बहुमंजिला पार्किंग निर्माण के सम्बन्ध में।

मा० मुख्यमंत्री जी की घोषणा संख्या-309/2018 रामनगर पुरानी तहसील की खाली भूमि पर बहुमंजिला पार्किंग निर्माण के सम्बन्ध में जिला स्तरीय विकास प्राधिकरण, नैनीताल की सप्तम् बोर्ड बैठक दिनांक 13.12.2019 में सैद्धान्तिक स्वीकृति प्रदान की गयी है। प्रस्तावित स्थल की भूमि रामनगर के नॉन ज्येड०ए० खाता संख्या-00072, खसरा संख्या-1055 श्रेणी-15 (2) कुल रकबा 0.22 है० अर्थात् 2200.00 वर्गमीटर है। रामनगर महायोजना में उक्त भूमि का भू-उपयोग निर्मित व्यवसायिक क्षेत्र के अन्तर्गत है जिसमें पार्किंग का निर्माण अनुमन्य है।

परियोजना तैयार किये जाने हेतु उक्त भूमि प्राधिकरण को हस्तान्तरित किये जाने के सम्बन्ध में जिलाधिकारी, नैनीताल को इस कार्यालय के पत्रांक-2472 दिनांक 30.01.2020 एवं पत्रांक-2592 दिनांक 20.02.2020 द्वारा B.O.T. के आधार पर बहुमंजिला कार पार्किंग निर्माण हेतु भूमि का हस्तान्तरण प्राधिकरण को किये जाने के सम्बन्ध में महोदय से अनुरोध किया गया। जिलाधिकारी, नैनीताल के कार्यालय पत्र संख्या-462 दिनांक 27.06.2020 द्वारा सचिव, उत्तराखण्ड शासन, मा० मुख्यमंत्री कार्यालय (घोषणा अनुभाग), देहरादून से अनुरोध किया गया था जिसके क्रम में राजस्व अनुभाग-2 के शासनादेश संख्या-541/XVIII (III)/2021-18 (38)/2020 दिनांक 11 जून, 2021 द्वारा रामनगर स्थित पुरानी तहसील से सम्बन्धित उक्त भूमि रकबा-0.224 है० श्रेणी-15 (2) को आवास विभाग के पक्ष में वाणिज्यिक प्रयोजन हेतु निःशुल्क आवंटित किया जा चुका है।

आवास अनुभाग-2 के शासनादेश संख्या-1125/V-2-2021/16 (घो०)2018 दिनांक 23 जून, 2021 द्वारा उक्त निःशुल्क आवंटित भूमि के सम्बन्ध में यह निर्देश दिये गये हैं कि राजस्व अनुभाग-2 के शासनादेश में उल्लिखित शर्तों का अनुपालन सुनिश्चित करते हुये, मा० मुख्यमंत्री जी द्वारा की गयी घोषणा संख्या-309/2018 " रामनगर पुरानी तहसील की खाली भूमि पर बहुमंजिला पार्किंग का निर्माण किया जायेगा" के सम्बन्ध में प्राधिकरण के वित्तीय संसाधन से पार्किंग के निर्माण कराये जाने हेतु नियमानुसार कार्यवाही करते हुये कृत कार्यवाही से शासन को अवगत कराने हेतु लिखा गया है।

अवगत कराना है कि पूर्व में दिनांक 22.06.2020 को रामनगर स्थित उक्त भूमि पर पार्किंग एवं कामर्शियल काम्प्लैक्स के निर्माण हेतु PPP मॉडल पर प्रस्ताव आमंत्रित किये गये थे। आमंत्रित प्रस्ताव के क्रम में तत्समय 02 प्रस्ताव निम्नवत् प्राप्त हुये थे:-

1. M/s. White Waters Ventures Pvt. Ltd., Bareilly
2. M/s. Ankan Builders and Contractors Ltd., Rudrapur.

दोनों प्रस्तावों, शासनादेश दिनांक 23 जून, 2021 के अवलोकन एवं महोदय से वार्ता के क्रम में निम्न तथ्य पाये गये, तदनुसार शासनादेश दिनांक 23.06.2021 के परिप्रेक्ष्य में उक्त दोनों प्रस्तावों के आधार पर अधिकतम आच्छादन आदि को लेते हुये प्रस्ताव निम्नवत् प्रस्तुत है:-

क्र. सं.	विवरण	M/s. White Waters Ventures Pvt. Ltd., Bareilly	M/s. Ankan Builders and Contractors Ltd., Rudrapur	शासनादेश 23.06.2021 के क्रम में प्राधिकरण के वित्तीय संसाधन से कराया जाना।
1.	भूखण्ड क्षेत्रफल	2240.00 sqm	2240.00 sqm	2240.00 sqm
2.	पार्किंग प्लोर की संख्या	02	02	02
3.	कार पार्किंग की प्रस्तावित संख्या	150	-	150
4.	बेसमेंट पार्किंग क्षेत्रफल (दो)	2232.08 sqm	2520.00 sqm	2520.00 sqm
5.	प्रस्तावित कुल तलों की संख्या	04	06	06
6.	विक्रय योग्य क्षेत्रफल	3360.00 sqm	3606.08 sqm. (Carpet Area)	3606.08 sqm. (Carpet Area)
7.	एफ0ए0आर0 प्रस्ताव	95.38 % (4273.29 sqm)	2.19	2.19
8.	भूतल	1082.70 sqm (व्यवसायिक)	1355.53 sqm (रिटेल स्टोर)	1355.53 sqm (रिटेल स्टोर)
9.	प्रथम तल	1063.53 sqm. (व्यवसायिक)	1355.53 sqm (रिटेल स्टोर)	1355.53 sqm (रिटेल स्टोर)
10.	द्वितीय तल	1063.53 sqm (व्यवसायिक)	1355.53 sqm (रिटेल स्टोर)	1355.53 sqm (रिटेल स्टोर)
11.	तृतीय तल	1063.53 sqm (कार्यालय)	930.00 sqm (कार्यालय हेतु)	930.00 sqm (कार्यालय हेतु)
12.	चतुर्थ तल	-	930.00 sqm (कार्यालय हेतु)	930.00 sqm (कार्यालय हेतु)
13.	पंचम तल	-	568.00 sqm (कार्यालय हेतु)	568.00 sqm (कार्यालय हेतु)
14.	लीज अवधि	35 years	24 years	
15.	Return/ Profit on investment	15 years	16 years	
16.	कुल लीज अवधि	50 years	40 years	
17.	औसतन वार्षिक आय	Rs. 1,49,29,320.00		एकमुश्त पगड़ी की कुल आय, किराये व पार्किंग से प्राप्त वार्षिक आय।
18.	परियोजना निर्माण		02 years	02 years

	की अवधि			
19.	मानचित्र स्वीकृति/व्यय	प्राधिकरण द्वारा वहन किया जाना है।	प्राधिकरण द्वारा स्वतः स्वीकृत एवं शुल्कों में छूट का उल्लेख	प्राधिकरण द्वारा
20.	किसी व्यवधान की स्थिति में		18% ब्याज के साथ धनराशि प्राधिकरण को वहन करनी होगी, का उल्लेख	
21.	पार्किंग का संचालन/अनुरक्षण		प्राधिकरण द्वारा किया जायेगा, का उल्लेख।	प्राधिकरण द्वारा अथवा ठेके पर किया जायेगा।
22.	परियोजना लागत की वापसी		आंशिक विक्रय एवं आंशिक मासिक लीज रेंट (24 वर्ष हेतु) से वसूली कर।	विक्रय/लीज/पगड़ी से प्राप्त आय एवं मासिक लीज रेंट व पार्किंग से आय से परियोजना लागत की वापसी/नियमित आय।
23.	25%अतिरिक्त एफ0ए0आर0 की दशा में		लीज अवधि पर पुनः विचार का उल्लेख।	
24.	वृक्षों का पातन	वृक्ष पातन की स्वीकृति सक्षम प्राधिकारी से।	प्राधिकरण द्वारा भूमि हस्तगत करने से पूर्व कराना होगा।	प्राधिकरण द्वारा।
25.	सिक्योरिटी		कामर्शियल बिल्डिंग का मैनेजमेंट, सुरक्षा व संचालन फर्म द्वारा किया जायेगा। पार्किंग प्राधिकरण द्वारा संचालित की जायेगी।	कामर्शियल बिल्डिंग का मैनेजमेंट, सुरक्षा व संचालन व्यवस्था का प्रस्ताव, परियोजना के लाभार्थियों से मासिक शुल्क आरोपण के साथ
26.	अन्य		तीन एलीवेटर्स, पब्लिक शौचालय, टू-वे रैम्प (पार्किंग हेतु), WiFi	तीन एलीवेटर्स, पब्लिक शौचालय, टू-वे रैम्प (पार्किंग हेतु), WiFi
27.	सोलर सिस्टम		सोलर रूफ टॉप का प्रस्ताव।	सोलर रूफ टॉप का प्रस्ताव।
28.	वर्षाजल भण्डारण		प्रस्तावित।	प्रस्तावित।
29.	आंकलित निर्माण लागत (बेसमेंट)	Rs. 30,000.00/ Sqm.	Rs. 30,000.00/ Sqm.	Rs. 30,000.00/ Sqm.
30.	आंकलित निर्माण लागत (ऊपरी तलों हेतु)	Rs. 25,500.00/ Sqm.	Rs. 25,500.00/ Sqm.	Rs. 25,500.00/ Sqm.
31.	अग्निशमन हेतु आंकलित लागत	Rs. 1,450.00/ Sqm.	-	-
32.	बेसमेंट-1 लागत	Rs. 420.00 Lac	Rs. 378.00 Lac	Rs. 378.00 Lac
33.	बेसमेंट-2 लागत	Rs. 420.00 Lac	Rs. 378.00 Lac	Rs. 378.00 Lac
34.	लोवर ग्राउण्ड	Rs. 276.08 Lac	Rs. 252.45 Lac	Rs. 252.45 Lac
35.	अपर ग्राउण्ड	Rs. 271.20 Lac	Rs. 237.15 Lac	Rs. 237.15 Lac
36.	प्रथम तल	Rs. 271.20 Lac	Rs. 237.15 Lac	Rs. 237.15 Lac
37.	द्वितीय तल	Rs. 271.20 Lac	Rs. 237.15 Lac	Rs. 237.15 Lac

38.	तृतीय तल	-	Rs. 237.15 Lac	Rs. 237.15 Lac
39.	चतुर्थ तल	-	Rs. 51.00 Lac	Rs. 51.00 Lac
40.	अग्नि शमन	Rs. 94.33 Lac	-	Rs. 94.33 Lac
41.	वर्षाजल, सोलर पैनल, WiFi एवं फसाड लाईटिंग हेतु व्यय प्राविधान		Rs. 100.00 Lac	Rs. 100.00 Lac
42.	परियोजना की प्रारम्भिक अनुमानित आंकलित लागत	Rs. 20.24 Cr.	Rs. 21.08 Cr.	Rs. 22.02 Cr.

M/s. White Waters Ventures Pvt. Ltd., Bareilly के प्रस्ताव में बेसमेंट हेतु ₹30,000.00 एवं ऊपरी तलों हेतु ₹25,500.00 प्रति वर्गमीटर की दर से प्रारम्भिक अनुमान / आंकलन किया गया है। प्रस्ताव में दर्शायी गयी बेसमेंट क्षेत्रफल व दर के आधार पर गणना करने पर ₹ 1,70,37,600.00 की त्रुटि पायी गयी है। उक्त को घटाने पर प्रस्ताव की लागत ₹8.54 करोड़ मात्र आती है।

शासनादेश के परिप्रेक्ष्य में प्राधिकरण संशाधनों से उक्त कार्य करवाये जाने की दशा में निम्न तरीको से व्यय धनराशि की प्रतिपूर्ति अथवा नियमित आय के रूप में उक्त परियोजना निर्मित की जा सकती है:-

1. ऊपरी तलों के व्यवसायिक/कार्यालयी स्थान को पगड़ी लेकर निश्चित किराये पर नियत अवधि हेतु दिया जाना तथा पार्किंग का संचालन ठेके के आधार पर किया जाना।
2. व्यवसायिक/कार्यालयी स्थान को विक्रय कर धनराशि अर्जित करना तथा पार्किंग का संचालन ठेके के आधार पर किया जाना।
3. सम्पूर्ण परियोजना को एक निश्चित अवधि हेतु लीज पर दिया जाना तथा उक्त से वार्षिक आय प्राप्त किया जाना।

प्राधिकरण संशाधनों से परियोजना विकास कार्य किये जाने हेतु तैयार प्रारम्भिक प्रस्ताव, पूर्व में प्राप्त प्रस्तावों के तुलनात्मक अध्ययन, अधिकतम् आच्छादन आदि को दृष्टिगत तैयार किया गया है। प्रस्ताव में सॉलर एनर्जी, अग्नि शमन, रेन वाटर हार्वेस्टिंग आदि प्राविधानों का समावेश किया गया है। अधिकतम् आच्छादन एवं अन्य के समावेश उपरान्त प्रारम्भिक अनुमानित आंकलित लागत धनांक ₹22.02 करोड़ है। वास्तविक आंकलन विस्तृत ड्राइंग, डिजायन व आंगणन उपरान्त अर्थात् परियोजना की डी0पी0आर0 निर्मित होने पर किया जा सकेगा। वर्तमान में अवस्थापना निधि अन्तर्गत उपलब्ध धनराशि के सापेक्ष विभिन्न योजनाओं हेतु धनराशि की स्वीकृति प्रदान की जा चुकी हैं। प्रस्तावित योजना हेतु धनराशि व्यय भविष्य में अवस्थापना निधि अन्तर्गत प्राप्त होने वाली धनराशि एवं प्राधिकरण निधि से किया जाना प्रस्तावित है जिसका समायोजन योजना में प्राप्त होने वाली किराया एवं अन्य धनराशि से किया जाना है।

अतः शासनादेश दिनांक 23.06.2021 के अनुपालन में प्राधिकरण के वित्तीय संशाधनों से उक्त कार्य करवाये जाने के सम्बन्ध में प्रस्ताव बोर्ड के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत किया गया।

कार्यवाही:- बोर्ड द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव पर विचार-विमर्श किया गया। चर्चा उपरान्त सर्वम्मति से निर्णय लिया गया कि निर्माण लागत अधिक होने के दृष्टिगत निर्माण कार्य चरणबद्ध रूप से किया जाए। आवश्यकतानुसार प्रथम चरण हेतु

निर्धारित धनराशि के सम्बन्ध में प्रस्ताव शासन को भी प्रेषित किया जाए। धनराशि व्यय अवस्थापना निधि अन्तर्गत भविष्य में प्राप्त होने वाली आय एवं प्राधिकरण निधि से किया जाए। आवश्यकतानुसार योजना हेतु बैंक के माध्यम से ऋण लेने की कार्यवाही भी की जाए। आवश्यकतानुसार योजना पर होने वाले व्यय धनराशि की प्रतिपूर्ति हेतु प्रस्तावित बिन्दु-3 के अनुसार सम्पूर्ण योजना को निश्चित अवधि हेतु लीज पर दिये जाने के सम्बन्ध में कार्यवाही की जाए।

मद संख्या-13.08

आयुक्त सभागार (प्राधिकरण कार्यालय), तल्लीताल, नैनीताल के जीर्णोद्धार कार्य के सम्बन्ध में।

अवगत कराना है कि आयुक्त सभागार भवन का निर्माण 30 वर्ष पूर्व किया गया था। तत्समय से भवन में आंशिक मरम्मत के अतिरिक्त कोई कार्य नहीं किये गये हैं। वर्तमान में इस भवन में जिला स्तरीय विकास प्राधिकरण, नैनीताल का मुख्यालय भी संचालित है। जिला स्तरीय विकास प्राधिकरण के स्वीकृत ढाँचे के अनुरूप उपाध्यक्ष एवं सचिव कक्ष तथा कार्मिकों हेतु आवश्यक कक्षों का अभाव है। यह भी अवगत कराना है कि सभागार कक्ष को भी मरम्मत कर वर्तमान आवश्यकताओं के अनुरूप आधुनिक सुविधाओं से युक्त तैयार किया जाना है।

उपरोक्त कार्य कराये जाने हेतु आगणन तैयार कराया जाना प्रस्तावित है। आगणन तैयार करते हुये जीर्णोद्धार का कार्य कराये जाने हेतु सैद्धान्तिक अनुमोदन के सम्बन्ध में प्रस्ताव बोर्ड के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत किया गया।

कार्यवाही:- बोर्ड द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव पर विचार-विमर्श किया गया। आर्किटेक्ट द्वारा तैयार फसाड एवं भवन के जीर्णोद्धार हेतु प्रस्तुत प्रस्तुतीकरण के आधार पर अनुमानित लागत ₹204.00 लाख की सैद्धान्तिक स्वीकृति प्रदान करते हुये विस्तृत योजना तैयार किये कर निर्माण कार्य कराने हेतु सहमति प्रदान की गयी।

मद संख्या-13.09

आयुक्त, कुमाऊँ मण्डल/अध्यक्ष, जिला स्तरीय विकास प्राधिकरण, नैनीताल के कार्यालय के प्रथम तल के जीर्णोद्धार हेतु संशोधित आगणन के सम्बन्ध में।

अवगत कराना है की जिला स्तरीय विकास प्राधिकरण, नैनीताल की ग्यारवीं बोर्ड बैठक दिनांक 05.02.2021 के मद संख्या-11.03 में आयुक्त कार्यालय के प्रथम तल के जीर्णोद्धार हेतु संशोधित आगणन धनराशि ₹3,11,97,173.50 की स्वीकृति इस शर्त के साथ प्रदान की गयी थी कि अष्टम् बोर्ड बैठक में लिये गये निर्णयानुसार संशोधित व्यय धनराशि का 50 प्रतिशत जिला स्तरीय विकास प्राधिकरण, नैनीताल एवं 50 प्रतिशत की धनराशि का जिला स्तरीय विकास प्राधिकरण, उधम सिंह नगर द्वारा वहन किया जायेगा।

जिला स्तरीय विकास प्राधिकरण, उधमसिंह नगर संशोधित आगणन के सापेक्ष 50 प्रतिशत धनराशि का भुगतान जिला स्तरीय विकास प्राधिकरण, नैनीताल को किया जा चुका

जिला स्तरीय विकास प्राधिकरण, उधमसिंह नगर संशोधित आगणन के सापेक्ष 50 प्रतिशत धनराशि का भुगतान जिला स्तरीय विकास प्राधिकरण, नैनीताल को किया जा चुका है। वर्तमान में स्थल पर समय-समय पर किये गये बदलाव एवं दिये गये निर्देशों के क्रम में कार्य संशोधित आगणन तैयार किया गया है।

अतः दिये गये निर्देशों के अनुपालन में आयुक्त कार्यालय के प्रथम तल के जीर्णोद्धार हेतु संशोधित आगणन की स्वीकृति प्रदान किये जाने हेतु प्रस्ताव बोर्ड के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत है।

कार्यवाही:- बोर्ड द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव पर विचार-विमर्श किया गया। सर्वसम्मति से पुनरीक्षित आगणन धनराशि ₹4,94,99,908.84 अनुमोदित करते हुये ठेकेदार द्वारा डाली निविदा दर 12.94 प्रतिशत को घटाने के उपरान्त अनुबन्ध की धनराशि ₹4,30,94,620.64 का अनुमोदन प्रदान किया गया। निविदा धनराशि अनुमोदित परियोजना लागत से कम होने के दृष्टिगत निविदा धनराशि ₹4,30,94,620.64 से व्यय अधिक होने पर प्राप्त होने वाली बचत धनराशि ₹64,05,288.20 से समायोजित कर लिया जाए।

अष्टम बोर्ड बैठक में लिये गये निर्णयानुसार पुनरीक्षित परियोजना लागत/वास्तविक व्यय की धनराशि का 50 प्रतिशत जिला स्तरीय विकास प्राधिकरण, नैनीताल एवं 50 प्रतिशत की धनराशि का जिला स्तरीय विकास प्राधिकरण, ऊधम सिंह नगर द्वारा वहन किया जायेगा।

मद संख्या-13.11

अन्य बिन्दु अध्यक्ष महोदय की अनुमति से।

भीमताल महायोजना 1995-2011 के परिक्षेत्रीय विनियमन के बिन्दु संख्या-13.3.7 के तहत बस स्टैण्ड भू-उपयोग के सम्बन्ध में।

कार्यवाही:- 1. बोर्ड द्वारा भीमताल महायोजना में बस स्टैण्ड भू-उपयोग के अन्तर्गत निहित प्राविधानों पर भी चर्चा की गयी जो कि निम्नानुसार हैं:-

(क) अनुमन्य उपयोग-

1. बस स्टैण्ड
2. वाहन पार्किंग, टैक्सी स्टैण्ड
3. यात्री प्रतीक्षालय
4. कुली विश्राम शेड्स
5. सामान उतारने-चढ़ाने का स्थान
6. टिकटघर एवं आरक्षण कार्यालय
7. रिपेयरिंग वर्कशॉप
8. जलपान गृह
9. रैन बसेरा।

(ख) विकास प्राधिकरण की अनुमति पर अनुमन्य उपयोग-

1. पेट्रोल पम्प
2. पर्यटन एजेन्सियों के कार्यालय
3. जल विद्युत प्रदाय प्रतिष्ठान
4. बस स्टैण्ड के अनुसांगिक उपयोग जो क्षेत्र के विकास हेतु आवश्यक हो तथा उपरोक्त किसी भी उपयोग के समतुल्य पाये जायें।

2. उक्त प्राविधानों की प्रासंगिकता तथा व्यावहारिकता पर सम्यक विचारोपरान्त बोर्ड द्वारा निम्न निर्णय लिए गए :-

(1) बस स्टैण्ड भू-उपयोग को आवासीय भू-उपयोग में परिवर्तन किये जाने हेतु प्राधिकरण स्तर से प्रेषित प्रस्ताव पर आतिथि तक शासन स्तर से कोई निर्णय न हो सकने के कारण उक्त भू-उपयोग के अन्तर्गत पूर्व एवं वर्तमान परिप्रेक्ष्य के दृष्टिगत महायोजना के जोनिंग रेगुलेशन के बिन्दु-13.3.7 के उपबिन्दु-(ख) अनुमन्य उपयोग के अन्तर्गत आवासीय एवं व्यवसायिक निर्माण की अनुमति हेतु पुनः प्रस्ताव शासन को संदर्भित किया जायेगा।

(2) उक्त के अतिरिक्त उपबिन्दु-ख (4) में यात्रियों के खान-पान, रहने एवं शौचालय व्यवस्था की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए रैन बसेरा/अतिथि गृह/विश्राम गृह/निरीक्षण भवन/पर्यटक आवास गृह/राज्य अतिथि गृह एवं जिला स्तरीय समिति द्वारा अनुमोदित होमस्टे के प्रस्ताव प्राप्त होने पर संगत भवन उपविधि अनुसार अनुमति दी जायेगी।


मद संख्या-13.12


केव गार्डन से के0एम0वी0एन0 कार पार्किंग, क्राफ्ट सैंटर, सूखाताल योजना तक फुट ओवर ब्रिज बनाये जाने के सम्बन्ध में।

कार्यवाही:- उपाध्यक्ष, जिला स्तरीय विकास प्राधिकरण, नैनीताल/प्रबन्ध निदेशक, कुमाऊँ मण्डल विकास निगम लि0, नैनीताल द्वारा जनसुविधा एवं सुगम यातायात के दृष्टिगत सूखाताल, नैनीताल स्थित केव गार्डन एवं कुमाऊँ मण्डल विकास निगम लि0 पार्किंग को जोड़ने एवं मार्ग को पार करने हेतु सुगम यातायात संरचना उपलब्ध कराने के दृष्टिगत केव गार्डन से के0एम0वी0एन0 पार्किंग, क्राफ्ट सैंटर, एवं सूखाताल योजना हेतु निर्मित होने वाले प्रवेश द्वार तक पर्यटकों के आवागमन हेतु एवं यातायात बाधित नहीं होने के दृष्टिगत फुट ओवर ब्रिज (4 in 1) बनाये जाने का प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया।

बोर्ड द्वारा सर्वसम्मति से प्रस्ताव का अनुमोदन किया गया। परियोजना का क्रियान्वयन कुमाऊँ मण्डल विकास निगम द्वारा किया जायेगा तथा परियोजना के वित्त पोषण हेतु कुमाऊँ मण्डल विकास निगम लि0, नैनीताल द्वारा प्रस्ताव प्राधिकरण को प्रस्तुत किया जायेगा।

अन्त में, अध्यक्ष द्वारा बैठक में उपस्थित एवं वीडियो कान्फ्रेंस के माध्यम से मौजूद समस्त सदस्यों को धन्यवाद देते हुए बैठक समाप्त की गयी।


उपाध्यक्ष,
जिला स्तरीय विकास प्राधिकरण,
नैनीताल


13/7/2021
आयुक्त/अध्यक्ष,
जिला स्तरीय विकास प्राधिकरण,
नैनीताल